प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लख नऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 13 फरवरी, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मनोज कुमार सोनी उर्फ मन्नू वर्मा पुत्र श्री रविकरन उर्फ छिद्दू, निवासी जनपद-कौशाम्बी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-2599/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-12.01.2024) दिनांक-29.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मनोज कुमार सोनी उर्फ मन्नू वर्मा पुत्र श्री रविकरन उर्फ छिद्दू, नेतानगर, थाना-मंझनपुर, जनपद-कौशाम्बी का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 05.02.2008 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर सोना चॉदी खरीद कर घर वापस आते समय राजेश नामक व्यक्ति की तमन्चों से गोली मारकर हत्या कर दी तथा विकास सोनी नामक व्यक्ति को घायल कर सोना लूट कर फरार हो गयें। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण-179/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 411, 394 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी, कोर्ट सं0-9, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 16.12.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.10.2021 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। (2) एसटीनं0-390/2008 में भा0द0वि0 की धारा-363 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र विशेष न्यायाधीश, कोर्ट सं0-04, कौशाम्बी के आदेश दिनांक 19.07.2013 द्वारा 05 वर्ष का कारावास। (3) एसटी नं0-65/2008 में भा0द0वि0 की धारा-2/3 यू.पी. गैगेस्टर एक्ट में मा0 अपर सत्र विशेष न्यायाधीश, कोर्ट सं0-02, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 17.12.2015 द्वारा 05 वर्ष की कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 01.06.2023 तक 15 वर्ष, 03 माह, 19 दिन की अपरिहार तथा 17 वर्ष, 09 माह, 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त नहीं पाया गया है और समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 05.02.2008 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर सोना चॉदी खरीद कर घर वापस आते समय राजेश नामक व्यक्ति की तमन्चों से गोली मारकर हत्या करने एवं विकास सोनी नामक व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मनोज कुमार सोनी उर्फ मन्नू वर्मा पुत्र रविकरन उर्फ छिद्दू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मनोज कुमार सोनी उर्फ मन्नू वर्मा (बन्दी संख्या-1382/11) पुत्र श्री रविकरन उर्फ छिद्दू, निवासी जनपद-कौशाम्बी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-116/2025/247(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मिसलेनियस अप्लीकेशन सं0-2222/2024 के अन्तर्गत विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-9499/2022 मनोज सोनी उर्फ मन्नू वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-116/2025/247/22-2-2024-17(197)/2024

दिनांक 13 फरवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मनोज कुमार सोनी उर्फ मन्नू वर्मा पुत्र श्री रविकरन उर्फ छिद्दू, नेतानगर, थाना-मंझनपुर, जनपद-कौशाम्बी का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 05.02.2008 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर सोना चॉदी खरीद कर घर वापस आते समय राजेश नामक व्यक्ति की तमन्चों से गोली मारकर हत्या कर दी तथा विकास सोनी नामक व्यक्ति को घायल कर सोना लूट कर फरार हो गयें। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण-179/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 411, 394 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी, कोर्ट सं0-9, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 16.12.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.10.2021 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। (2) एसटीनं0-390/2008 में भा0द0वि0 की धारा-363 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र विशेष न्यायाधीश, कोर्ट सं0-04, कौशाम्बी के आदेश दिनांक 19.07.2013 द्वारा 05 वर्ष का कारावास। (3) एसटी नं0-65/2008 में भा0द0वि0 की धारा-2/3 यू.पी. गैगेस्टर एक्ट में मा0 अपर सत्र विशेष न्यायाधीश, कोर्ट सं0-02, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 17.12.2015 द्वारा 05 वर्ष की कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 01.06.2023 तक 15 वर्ष, 03 माह, 19 दिन की अपरिहार तथा 17 वर्ष, 09 माह, 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त नहीं पाया गया है और समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 05.02.2008 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर सोना चॉदी खरीद कर घर वापस आते समय राजेश नामक व्यक्ति की तमन्चों से गोली मारकर हत्या करने एवं विकास सोनी नामक व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मनोज कुमार सोनी उर्फ मन्नू वर्मा पुत्र रविकरन उर्फ छिद्दू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in